

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 30/2023(GCMS : 2023/42)

ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में ए यू फाईनेंसर्स इण्डिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) शाखा कार्यालय 4-ई-8, जवाहर नगर, प्रथम तल, मीरा चौक रोड, नजदीक गौड़ हॉस्पिटल, श्रीगंगानगर जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पोर्टफोलियो कलैक्शन मैनेजर मनोज कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद

बनाम


1. सुरेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री मांगीलाल चौहान निवासी वार्ड नं. 2, गली नं. 1, नजदीक हरगोविंद प्लास्टिक फैक्ट्री, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर
2. नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री मांगीलाल चौहान निवासी हरगोविंद प्लास्टिक फैक्ट्री के पास, प्रभु चौक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर
3. कैलाश देवी पत्नी श्री मांगीलाल निवासी पुरानी आबादी, वार्ड नं. 3, नजदीक हरगोविंद प्लास्टिक फैक्ट्री, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर
4. उमा कंवर पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान निवासी नजदीक हरगोविंद प्लास्टिक फैक्ट्री, वार्ड नं. 3, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर
5. गोपाल सिंह पुत्र श्री सत्य नारायण निवासी पुरानी आबादी, वार्ड नं. 3, नजदीक प्लास्टिक फैक्ट्री, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर



06.09.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने एक प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता श्री राजीव मेहन्दिरत्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 23.02.2023 को प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण सुरेन्द्र सिंह चौहान, नरेन्द्र सिंह, कैलाश देवी, उमा कंवर एवं गोपाल सिंह को ऋण सुविधा के रूप में राशि 20.00/-लाख रुपये (अखरे रुपये बीस लाख मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृत दिनांक 29.08.2016 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सुरेन्द्र सिंह द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. सी-130, गांधी बस्ती, हाल गली नं. 1, हरगोविंद प्लास्टिक फैक्ट्री, वार्ड नं. 3(क्षेत्रफल 169/94 वर्गगज) श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण सुरेन्द्र सिंह चौहान, नरेन्द्र सिंह, कैलाश देवी, उमा


जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

कंवर एवं गोपाल सिंह को 20.00/- लाख रुपये (अखरे रुपये बीस लाख मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 29.08.2016 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सुरेन्द्र सिंह चौहानं ने अपनी अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. सी-130, गांधी बस्ती, हाल गली नं. 1, हरगोविंद प्लास्टिक फैक्ट्री, वार्ड नं. 3(क्षेत्रफल 169/94 वर्गगज) श्रीगंगानगर, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 13.09.2022 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 15.09.2022 को जारी कर दिनांक 19.09.2022 को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है तथा अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, इसके अतिरिक्त धारा 13(2) के नोटिस का दो समाचार पत्रों दैनिक नवज्योति एवं इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 21.10.2022 को प्रकाशन करवाया है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।


जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी सुरेन्द्र सिंह की अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. सी-130, गांधी बस्ती, हाल गली नं. 1, हरगोविंद प्लास्टिक फैक्ट्री, वार्ड नं. 3(क्षेत्रफल 169/94 वर्गगज) श्रीगंगानगर, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जिला मजिस्ट्रेट,
श्री गंगानगर

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 15.09.2022 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 15.09.2022 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थीगण को दिनांक 19.09.2022 को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अप्रार्थीगण के धारा 13(2) नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) के नोटिस दो समाचार पत्रों इण्डियन एक्सप्रेस एवं दैनिक नवज्योति में दिनांक 21.10.2022 को प्रकाशित करवाया है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी सुरेन्द्र सिंह चौहान के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी सुरेन्द्र सिंह चौहान द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. सी-130, गांधी बस्ती, हाल गली नं. 1, हरगोविंद प्लास्टिक फैक्ट्री, वार्ड नं. 3(क्षेत्रफल 169/94 वर्गगज) श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अशदीप)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर